हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती की वारदातें भी घटीं

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आई कमी

नगर संवाददाता,भोपाल

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा दिसम्बर 2023 से 15 मई 2024 तक हुए अपराधों की समीक्षा के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसी अवधि की पिछले वर्ष से तुलना करने पर न सिर्फ कुल आईपीसी अपराधों में कमी आई है बल्कि विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक ओर गैंग रैप के प्रकरणों में 5.4 प्रतिशत की कमी आई है, वहीं महिलाओं के विरुद्ध घटित क्रूरता तथा दहेज प्रताड़ना के अपराधों में 29.6 प्रतिशत की कमी आई है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के कारण ही छेडछाड़ के अपराधों के प्रकरणों में 11.1 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध कुल होने वाले अपराधों में 1.8 प्रतिशत की कमी आई है। संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा में पाया गया कि नकबजनी में 7.56 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार सामान्य चोरी में 2.12 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। पिछले 6 माह में कुल 130698 अपराध घटित हुए। जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 136650 अपराध घटित हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विगत छः माह में अपराधों में 4.36 प्रतिशत की कमी आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या के प्रकरणों में 17.31 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 7.21 प्रतिशत, डकैती में 53.85 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

एससीआरबी ने जारी किए पिछले 6 माह के आंकड़े

गंभीर अपराध भी हुए कम

विगत छः माह में महिलाओं के विरुद्ध घटित गंभीर अपराधों में भी कमी आई है। बलात्कार सह हत्या के प्रकरणों में 14.3 प्रतिशत की कमी, सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों में 5.4 प्रतिशत की कमी, बलात्कार के प्रयासों में 35.7 प्रतिशत की कमी, दहेज हत्या में 10.7 प्रतिशत की कमी, दहेज प्रताड़ना में 11.7 प्रतिशत की कमी आई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ गंभीर अपराध में आई कमी

विगत छः माह में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध घटित गंभीर अपराधों में विगत छह माहों में पिछली अवधि की तुलना में भारी कमी आई है, जैसे हत्या के प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 35.3 प्रतिशत की कमी तथा हत्या के प्रयास में 20.3 प्रतिशत की कमी आई है।

नकबजनी की पांच वारदातों का खुलासा

बैतूल के दोस्तों की गैंग बनाकर सूने घरों में करता था चोरी

नगर संवाददाता,भोपाल

रातीबड़ पुलिस ने एक शातिर चोर को दबोचकर उसके पास से करीब कार व सोने-चांदी के जेवरातों समेत 15 लाख रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी बैतूल का रहने वाला है वह बैतूल के अपने दो दोस्तों को बुलाकर उनके साथ ही वारदातों को अंजाम देता था। चोरी से पहले वे दिन के समय घूम-घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। रातीबड़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत 11 नवंबर 2023 को फरियादिया दुर्गा राय पति दीपांकर राय निवासी विशाल नगर के घर में चोरी की वारदात हुई थी। अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर अलमारी से सोने चाँदी का सामान चोरी कर ले गए थे। चोरी की आधा दर्जन वारदातों में पुलिस को बदमाशों क तलाश थी। विवेचना के दौरान पुलिस को सुराग मिला तथा शातिर चोर प्रताप मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मूलतः बैतूल जिले का रहने वाला है। यहां पर वह कोलार इलाके में पांच साल से रह रहा था।

रेकी के बाद वारदात को देते थे अंजाम

पूछताछ में आरोपी प्रताप ने बताया कि बैतूल से वह अपने दोस्त भूरा व सागर करोसिया को चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाता था। भूरा हमेशा रॉड लेकर चलता था तथा वह ताला तोड़ने में माहिर था। अपने दोस्तों के साथ रेकी करता था तथा मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दे देता था। चोरी के वक्त उनका फोकस सोने-चांदी के जेवरात पर फोकस होता था तथा अगर सूने घर में अगर कोई दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन खड़ा मिलता तो वे उसे पार भी कर देते थे।

बड़ा भाई था बैतूल का शातिर चोर

गिरफ्तार आरोपी प्रताप मंडल का बड़ा भाई बैतूल का शातिर नकजबन था। वह कई बार जेल जा चुका था। करीब दो साल पहले उसकी बीमारी की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रताप ने चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसके पिता शासकीय सेवक थे। उनकी भी मौत हो चुकी है। उसके दोस्त भूरा और सागर भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुके हैं। पिछले दिनों वे जमानत पर बाहर आए थे।

नाम परिवर्तन सूचना

विनीत पाहवा आत्मज श्री सोमनाथ पाहवा निवासी-म.न. पी-12, प्रिमियम केम्पस, आकृति ईको सिटी, नियर रोहित नगर फेस-2, बावडिया कलां, भोपाल म.प्र. पते पर निवास करता हूँ। मेरी पुत्री AASHANA PAHAWA ने सत्र 2023 में कक्षा दसवीं की परीक्षा ICSE नई दिल्ली से उत्तीर्ण की है, मेरी पुत्री का रोल नं. 1235210/025 है। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मेरी पुत्री को अंकसूची प्राप्त हुई थी, जिसमें त्रुटिवश मेरी पुत्री की गलत जन्मतिथि 17 APR 2007 दर्ज हो गई है। मेरी पुत्री की सही जन्मतिथि 16/04/2007 है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज है, जो सही व सत्य है। -विनीत पाहवा

छोला मंदिर इलाके में हुई घटना, लूट का प्रकरण दर्ज

ड्रायवर के हाथ-पैर बांधे फिर ट्रक लूटकर भागे बदमाश

नगर संवाददाता,भोपाल

छोला मंदिर इलाके के एक बाजार में चार बदमाशों ने एक चालक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने ट्रक को जबरन उसके ही ट्रक में बैठाया तथा हाथ-पैर बांध दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद चालक को नीचे फेंका तथा ट्रक लेकर भाग निकले। ट्रक में लोहे की चादरें लदी हुइ थीं। सूचना मिलने के बाद छोला मंदिर पुलिस ने लूट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छोला मंदिर पुलिस ने बताया कि राजगढ़ निवासी 23 वर्षीय सर्जनलाल पाल ट्रक चालक है। मंगलवार की रात वह अपना ट्रक लेकर छोला मंदिर स्थित टिम्बर मार्केट आया था। सर्जनलाल के ट्रक में लोहे की चादरें लदी हुई थी। इसी दौरान दो युवक उसके पास पहुंचे। इन युवकों ने आते ही सर्जनलाल का मुंह व गला दबाने लगे। दो अन्य युवक भी ट्रक के भीतर आए तथा चारों ने मिलकर सर्जनलाल के हाथ-पैर बांधकर केबिन में पटक दिया और ट्रक लेकर चल दिये। कुछ दूर आगे जाकर झाडियों के पास बदमाशों ने ट्रक रोका और सर्जनलाल को नीचे उतार दिया. इस दौरान उन्होंने उसका पर्स, मोबाइल फोन और माल से लदा हुआ ट्रक लेकर भाग निकले। माल समेत लूटे गए ट्रक की कीमत 11 लाख 51 हजार 700 रुपए बताई गई है. पर्स के अंदर 17 सौ रुपए नकद, ड्रायविंग लायसेंस और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज रखे हुए थे। अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस घटना के बाद ड्रायवर ने इसकी जानकारी मोटर मालिक को दी और बुधवार दोपहर को छोला मंदिर थाने पहुंचकर लूटपाट की शिकायत की। पुलिस ने मारपीट कर लूट करने का मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस बदमाशों की तलाश करने की कोशिश कर रही है।

तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत

भोपाल। सतपुड़ा भवन के पास कार ने स्कूटर सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अरेरा हिल्स पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय विनीत खुशलानी एयरपोर्ट रोड लालघाटी में रहते थे। विनीत विदेशी मुद्रा एक्सचेंज का काम करते थे। उनका दफ्तर एमपी नगर इलाके में है। मंगलवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे विनीत दफ्तर से घर के लिए स्कूटर से निकले थे। वे सतपुड़ा भवन के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उनकी स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस विनीत को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंची। यहां पर डॉक्टर ने चेक करने के बाद विनीत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय के आसपास लगे कैमरों के जरिए टक्कर मारने वाली कार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

शफाखाने की घटना, वीडियो हुआ वायरल

युवक से मारपीट, प्लास से बाल भी नोचे

नगर संवाददाता,भोपाल

शफाखाना में रहने वाले एक बंगाली युवक ने अपनी दोस्त से कुछ सामान लिया था। उसने जब सामान वापस नहीं किया तो युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर दी गई। इस दौरान प्लास से उसके बाल भी नोच दिए गए। घटना का वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल कुछ कारीगर शफाखाना इलाके में रहते हैं। वे चौक बाजार की अलग-अलग सराफ दुकानों में काम करते हैं। वे जेवरातों में नगीना लगाने का काम करता है। बीती दो जून की रात को महिदुल नामक युवक के साथ तीन कारीगरों ने कमरे में बंधक बनाकर मारपीट की. उन्होंने मारपीट करने के साथ उसके बाल भी काट दिए थे. मारपीट करने वालों का आरोप था कि महिदुल ने कुछ सामान ले लिया था. इस पर महिदुल ने कुछ सामान उन्हें वापस कर दिया और कुछ सामान अगले दिन वापस करने की बात कह रहा था. उसके बाद तीनों ने उसे इतवारा के पास छोड़ दिया था. मंगलवार को महिदुल के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके पिता शेख सईद कोतवाली थाने पहुंचे और तीन युवकों हबीब, सईद और नौशाद के खिलाफ बेटे को बंधक बनाकर मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पिटाई का शिकार हुए युवक की तलाश इधर पिटाई का शिकार हुआ महिदुल घटना के बाद से गायब है।

बैरसिया इलाके का मामला, अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज

गला दबाकर कुएं में फेकी गई थी महिला की लाश

नगर संवाददाता,भोपाल

बैरसिया इलाके में कुएं में तालाब में मिली लाश के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को दबोच लिया जाएगा। बैरसिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय लक्ष्मीबाई राजपूत मेघरा कला गांव में रहती थीं। लक्ष्मीबाई दिव्यांग थीं इसलिए अक्सर ही घर पर ही रहती थीं। चार दिन पहले उनका बड़ा बेटा काम पर गया था। दोपहर को वह घर लौटा तो मां नहीं मिली। उसे लगा कि आसपास किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी। इसलिए वह वापस काम पर लौट गया। शाम को घर लौटा तो भी लक्ष्मीबाई घर पर नहीं थी. दो दिनों तक तलाश करने के बाद भी जब लक्ष्मीबाई का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने 3 जून को थाने जाकर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. चौथे दिन कुएं से बरामद हुआ शव थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते ने बताया कि मेघरा कला में रहने वाले दीपक सिंह राजपूत (28) खेती किसानी करते हैं। मंगलवार सुबह वह गांव के मोहर सिंह पटेल के कुएं पर पहुंचे तो एक महिला का शव पानी में उतराता हुआ दिखाई दिया। लाश गल जाने के कारण महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। उन्होंने 4 दिनों से लापता महिला लक्ष्मीबाई के बेटों और गांव वालों को बुलाया तो बेटे ने शव की पहचान अपनी मां लक्ष्मीबाई के रूप में कर ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पीएम कराया और लाश परिजनों को सौंप दी

पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

मर्ग की जांच के दौरान जब पुलिस को शार्ट पीएम रिपोर्ट मिली। तो उसमें बताया गया कि महिला की मौत गला घोंटने के कारण उसकी मौत हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मृतका लक्ष्मीबाई दिव्यांग होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ थी और वह कुएं तक चलकर नहीं जा सकती थी. परिजनों ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महिला को कुएं में फेंकने की आशंका जाहिर की थी। अस्पताल से मिली पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की दो से तीन तीन पहले गला घोंटकर हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लक्ष्मीबाई की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज किया कर लिया। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोपी के बारे में अहम सुराग मिल गया है।

नाबालिग को अपने पास रखकर किया शारीरिक शोषण

भोपाल। दस साल पहले परिचित युवक ने बहला-फुसलाकर 14 साल की नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया। वह उसे अपने घर ले गया। करीब दस साल तक वह उसे अपने साथ रखे रहा। इसी दौरान उसने शारीरिक शोषण किया। किशोरी ने नाबालिग अवस्था में ही एक बच्ची को जन्म भी दिया था। किशोरी के बालिग हो जाने के बाद भी युवक ने उससे शादी नहीं की। पिछले युवक का बरताव बदला तथा वह मारपीट करने लगा। परेशान होकर पुलिस को शिकायत कर दी गई। पुलिस ने दुष्कर्म, व पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बैरागढ़ थानाक्षेत्र में रहने वाली चौबीस वर्षीय युवती घरेलू काम करती है. उसने पुलिस को बताया कि करीब दस साल पहले वह पुराने शहर में रहती थी इसी दौरान सलीम कुरैशी नाम के युवक से उसकी पहचान हो गई थी। दोनों के बीच जब बातचीत होने लगी तो सलीम ने उसका अपहरण कर लिया और बैरागढ़ इलाके में साथ लेकर रहने लगा। इस दौरान उसने शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। उसने वादा किया था कि किशोरी के बालिग होते ही वह शादी कर लेगा। बालिग होने के बाद 6 साल तक वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा लेकिन शादी नहीं की। इसी दौरान युवती ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। पिछले दिनों जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया।

भोपाल में फरारी काट रहे बेंगलोर के बदमाश को दबोचा

भोपाल। निशातपुरा पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को दबोचा है जिसने बेंगलोर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था तथा वारदात के बाद से भोपाल में फरारी काट रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे बंगलोर पुलिस को सौंप दिया गया है। निशातपुरा पुलिस ने बताया कि गत दिवस मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना मल्लेश्वर जिला बैंगलोर सिटी राज्य कर्नाटक में लूट कर भागा आरोपी सलमान उर्फ कैफी (27) अमन कॉलोनी में फरारी काट रहा है। सूचना मिलते ही उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में पता चला कि बैंगलोर सिटी से अपने साथी शब्बीर अन्ना के साथ एक महिला से लूट की वारदात कर करीब 120 ग्राम सोने के साथ फरार हुआ था। उसे दबोचने के बाद बैंगलोर सिटी के मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। बैंगलोर का पुलिस बल सूचना पाते ही तत्काल हवाई मार्ग से भोपाल आया।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना दिनांकः 01.06.2024

उप मुख्य इंजीनियर / निर्माण-।। झाँसी, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा, निविदा बंद होने की दिनांक 24.06.2024 को 15:00 बजे तक आमंत्रित करते है।

निविदा संख्याः DY-CE-C-II-JHS-2024-01, **कार्य का नामः** "18 महीने के लिए एडीईएन/एम/महोबा के तहत टेहरका - मउ रानीपुर के बीच ट्रैक (नई द्वितीय लाइन) का रखरखाव"।

अनुमानित लागतः Rs. 55,34,654.40 | **धरोहर राशिः** Rs. 1,10,700.00

कार्य पूर्ण होने की अवधिः 18 माह हार्वेस्ट एवं मानसून सहित।

वैधता की अवधिः 60 दिन | **निविदा बंद होने का दिनांक व समयः 24.06.2024 को 15:00 बजे**

नोटः पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें। 960/24 (P)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये **वरिष्ठ मंडल विद्युत इन्जी. (कर्षण) झाँसी** के निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।

कार्य का नामः झांसी मंडल की **4 Wheeler** और **8 Wheeler** टावर वैगनों का 12 महीने की अवधि के लिए व्यापक और निवारक रखरखाव का कार्य।

ई-निविदा सूचना संख्या	अनुमानित लागत (₹)	अमानत राशि/बिड सिक्योरिटी (₹)
झाँसी/टीडी/टेन्डर/2024/02	₹ 13167404.90	₹ 215800.00

निविदा बन्द होने की तिथिः 27.06.2024 15.00 pm., **स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः** 12 माह। • निविदा दिनांक **27.06.2024** को **15.00** बजे तक आन लाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखें। 963/24 FA

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

उत्तर मध्य रेलवे

ई प्रापण निविदा सूचना संख्याः 01/2024-25 **दिनांकः** 31.05.2024

ई-प्रापण निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ सामग्री प्रबन्धक वि.लो.शेड, झाँसी द्वारा निम्नलिखित मद के लिए ई-प्रापण निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0.सं0.: 01, निविदा सं.: 54245173A, **मात्राः** 150 नग, **विवरणः** थ्रेड सीलेंट इन ए प्लास्टिक कंटेनर ऑफ़ 50 ML एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गीवेन वेलो। एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन **1.** विस्कोसिटी - 800-1000 CPS, **2.** स्थैतिक शियर स्ट्रेंग्थ : 150-250 kg/sq.cm, 3. ब्रेअकवय टार्क : 150-300kg.cm, **4.** प्रेवाल्लिंग टार्कः100-250 kg.cm, **5.** गैप फिलिंग : 0.25mm, **6.** सेटिंग टाइम : 05-20 Min, **7.** टेम्परेचर रेजिस्टेंस :-60 °C to +180°C सिमिलर टू फेविकोल ANR 124 और loctite 243 एक्सेप्टेड मेक फेविकोल ANR 124

निविदा खुलने की तिथिः 01.07.2024, **नोटः** उपरोक्त ई प्रापण निविदा का पूरा विवरण **IREPS** वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in.** पर उपलब्ध है। 958/24(DG)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

सवा पांच लाख के गांजे के साथ पकड़ाए जीजा-साले, चार अन्य युवक भी दबोचे

उड़ीसा से लाए थे मादक पदार्थ

नगर संवाददाता,भोपाल

क्राइम ब्रांच ने सवा 5 लाख रुपए के गांजे के साथ जीजा व साले समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वे गांजा उड़ीसा से लाकर भोपाल में फुटकर दामों में सप्लाई करते थे। वे गिरोह बनाकर तस्करी किया करते थे। इनमें से एक आरोपी विशाखापट्टनम जेल में बंद हो चुका है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करों की पतारसी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंगलवारा इलाके में पुष्पा अपार्टमेंट के मैदान के पीछे पटरी के किनारे 6 लोग संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। जिसमें दो महिलाए हैं। चारों युवकों के पास मादक पदार्थ से भरे हुए पि् बैग हैं। यदि उक्त लोगों को दबोचा नहीं गया तो वे गांज की सप्लाई कर भाग निकलेंगे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम विनय शर्मा निवासी मथुरा उप्र, श्याम जोशी निवासी ग्वालियर, सोनू शर्मा निवासी मुरैना,जितेन्द्र शर्मा निवासी ग्वालियर तथा महिलाओं ने अपना अपना नाम सुनीता कुचबंदिया निवासी कल्याण नगर भोपाल व नरवदी भील निवासी विदिशा का होना बताया। तलाशी लेने पर आरोपी जितेन्द्र शर्मा के कब्जे से 6 किलो ग्राम गांजा, सुनीता कुचबदिया से 1 किलो ,नरवदी भील के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम समेत आरोपियों से कुल 26 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।

फार्म ए
सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत)

कार्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	कार्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24.07.2020
3	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार शामिल/पंजीकृत है	कंपनियों का रजिस्ट्रार - मुंबई
4	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	U93090MH2020PTC342527
5	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी-702, 7वीं मंजिल, नीलकंठ बिजनेस पार्क, किरोल गांव, बस डिपो के पास, विद्याविहार, मुंबई शहर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400086.
6	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	21.05.2024 (आदेश की प्रति माननीय एनसीएलटी पोर्टल पर 04.06.2024 को अपलोड की गई थी)
7	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	17.11.2024 (दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने से 180वां दिन)
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	राजेश सुरेशचंद्र शेठ **आईबीबीआई रजि. क्रमांक** IBBI/IPA-002/IP-NO1021/2020-2021/13298
9	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	**पता:** बी-55, शतदल सोसायटी, 7वीं मंजिल, आजाद लेन, एस.वी. रोड, अंधेरी वेस्ट, शॉपर्स स्टॉप के पास, मुंबई सिटी, महाराष्ट्र, 400058 **E-mail ID:** rajeshshethsbi@gmail.com
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ईमेल	पत्राचार पता- राजेश सुरेशचंद्र शेठ, अंतरिम समाधान पेशेवर, बीडीओ पुनर्गठन सलाहकार एलएलपी, लेवल 9, द रूबी, उत्तर-पश्चिम विंग, सेनापति बापट रोड, दादर (डब्ल्यू), मुंबई 400028, महाराष्ट्र, भारत **Correspondence Email ID: ipkarkinos@gmail.com**
11	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18.06.2024
12	उप-धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों, धारा 21, अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित की गई	कोई नहीं, लागू नहीं
13	दिवाला पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाना गया (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	कोई नहीं, लागू नहीं
14	(ए) प्रासंगिक प्रपत्र और	(ए) वेब लिंक दावा दाखिल करना -: cirpkarkinos.dcirrus.co प्रासंगिक फॉर्म https://ibbi.gov.in/en/home/downloads पर उपलब्ध हैं यदि वेबसाइट या प्रासंगिक फॉर्म तक पहुँचने में कोई स्पष्टीकरण/कठिनाई है, तो कृपया ipkarkinos@gmail.com पर लिखें दावों को अग्रेषित करने के लिए भौतिक पता राजेश सुरेशचंद्र शेठ, अंतरिम समाधान पेशेवर, बीडीओ पुनर्गठन सलाहकार एलएलपी, लेवल 9, द रूबी, उत्तर-पश्चिम विंग, सेनापति बापट रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई 400028, महाराष्ट्र, इंडिया
	(बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहाँ उपलब्ध है	(बी) लागू नहीं

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 21 मई 2024 को कार्किनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति माननीय एनसीएलटी पोर्टल पर अपलोड की गई और 04.06.2024 को आईआरपी को उपलब्ध कराई गई)

कार्किनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अनुरोध है कि वे 18 जून 2024 को या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर को या प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर प्रमाण के साथ लिंक **cirpkarkinos.dcirrus.co** पर जाकर अपने दावे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। वित्तीय लेनदार केवल लिंक **cirpkarkinos.dcirrus.co** पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार उपरोक्त पोर्टल पर जाकर व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम: श्री राजेश सुरेशचंद्र शेठ
IBBI registration number: IBBI/IPA-002/IP-NO1021/2020-2021/13298
ईमेल: **rajeshshethsbi@gmail.com**
अंतरिम समाधान पेशेवर का हस्ताक्षर- एसडी/-
कार्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
दिनांक: 06.06.2024
स्थान: मुंबई, भारत